फर्द अहकाम

कार्यालय जिला कलक्टर, राजसमंद जिला राजसमंद

श्री मोहन लाल पिता मोडीलाल जी जोशी निवासी धोरण तहसील कुंभलगढ जिला राजसमन्द

– अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार कुंभलगढ़ – प्रत्यर्थी

किस्म मुकदमा – अपील सूचना का अधिकार, 2005 — पत्रावली संख्या 56/2024

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाए जारी की गई
	दिनांक 21.08.2024 पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी अनुपस्थित। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार कुंभलगढ से प्राप्त नहीं होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार कुंभलगढ़ से वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय को भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया। लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार कुंभलगढ़ से जरिये पत्र क्रमांकः सू.का अधि./2024/21 दिनांक 31.07.2024 से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी श्री मोहनलाल पिता मोडीलाल जोशी निवासी धोरण तहसील कुंभलगढ़ जिला राजसमन्द द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत चाही गई सूचना प्रार्थी को निर्धारित अवधि में कार्यालय के पत्र क्रमांक सू.का. अधि./2024/18 दिनांक 15.06.2024 को जरिये रजिस्टर्ड डाक से भिजवा दी गई थी किन्तु डाक लिफाफा पुनः इस टिप्पणी के साथ लौटा दिया गया कि प्राप्तकर्ता बाहर रहता है यहां निवास नही करता है। लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार कुंभलगढ़ की रिपोर्ट एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार कुंभलगढ़ की रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी द्वारा चाही गयी सूचना के संबंध में जानकारी कार्यालय तहसीलदार कुंभलगढ़ के पत्र क्रमांक सू.का.अधि./2024/18 दिनांक 15.06.2024 को जरिये रजिस्टर्ड डाक से भिजवा दी गई थी किन्तु डाक लिफाफा पुनः इस टिप्पणी के साथ लौटा दिया गया कि प्राप्तकर्ता बाहर रहता है यहां निवास नही करता है। जिससे प्रार्थी द्वारा सही पता दिये जाने पर सूचना जरिये रजिस्टर्ड डाक से प्रार्थी के सही पते पर पहुंचा दी जावेगी। उक्त संबंध में अपीलार्थी को निर्देशित किया जाता है कि वांछित सूचना के संबंध में कार्यालय समय में उपस्थित होकर वांछित सूचनाओं का निरिक्षण कर उनकी प्रमाणित प्रतिलिपी नियमानुसार लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार कुम्भलगढ से प्राप्त करें। अतः उक्त प्रकरण इसी स्टेज पर निर्णित किया जाता है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी, लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार कुंभलगढ़ को भिजवायी जावे। **पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।** लोक सूचना अपीलीय अधिकारी (जिला कलक्टर) राजसमंद	

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)